कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/2901/2020 बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बिमारी है इस बिमारी से विश्व में आज दिनांक तक कुल 13616593 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक कुल 585727 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोराना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं जिनमें कुल 1038716 प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और कुल 26273 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5246 धनात्मक मरीजों की पहचान हो चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार बिलासपुर जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 437 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान बिलासपुर जिले में की गयी है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट जोन बनाए गए हैं। नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पंचायत बोदरी तथा बिल्हा क्षेत्र में आज दिनांक तक 106 से ज्यादा कन्टेंनमेंट जोन बनाए जा चुके है, जिसमें 80 कन्टेन्मेंट अभी भी प्रभावशील है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बिमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी सम्भावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुये इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। **अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा कोरोना वायरस के संकमण को रोकने हेतु नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं नगर पंचायत बोदरी तथा बिल्हा के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है।**

अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला बिलासपुर के नगर पालिक निगम बिलासपुर, एवं नगर पंचायत बिल्हा, बोदरी की नगरीय सीमा क्षेत्रों को संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 23/07/2020 प्रातः 05:00 बजे से 31/07/2020 सायं 04:00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है–**

20/07/2020

ब. यह भी आदेशित किया जाता है कि –

01. नगर पालिक निगम बिलासपुर तथा नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी क्षेत्र के समस्त शासकीय , अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यो का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।

02. जिले के उपरोक्त नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो–रिक्शा, बसें, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो, इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

03. **बिलासपुर जिले के उपरोक्त नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर इन नगरीय क्षेत्रों की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Corgo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।**

04. नगर पालिक निगम बिलासपुर तथा नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी क्षेत्र की सभी दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान , गोदाम, साप्ताहिक हाट–बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बन्द रखेंगे।

05. नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले **फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तो के अधीन छूट रहेगी–**

(क) यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री / इकाईयों के अंदर करनी होगी।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर कर्मचरियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/ इकाईयों को स्वयं करनी होगी।

(ग) संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

(घ) **इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर इलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।**

06 **नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं नगर पंचायत बिल्हा तथा बोदरी क्षेत्र के बाहर स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करेन वाले संस्थान / इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।**

07. सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन–स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बन्द रहेंगे।

08. विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

09. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगे। **किसी भी स्थिति में, अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।** घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

स. **फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल /फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर** आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/ प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है–

01. **माननीय उच्च न्यायालय छत्तीगसढ बिलासपुर, उनके अधीन अन्य न्यायालय तथा राजस्व मण्डल**

02. आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय,, तहसील, थाना एवं चौकी। **ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बन्द रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नही होगा।**

03. पंजीयन कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)

04. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय

05. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी

06. स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक शामिल हैं)

07. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन

08. खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं

09. उचित मूल्य की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), किराना दुकानें, आटा चक्की संबंधी **गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से अपरान्हः 12:00 बजे तक होगी।**

10. **ठेले पर एक स्थान से दूसरे पर जा–जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को, विक्रय करने की अनुमति अपरान्हः 12:00 बजे तक होगी।**

11. **स्थायी दुकानों/ स्थानों पर विकय** करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय /वितरण/ भण्डारण /परिवहन संबंधी

गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से अपरान्हः 12:00 बजे तक होगी। दूध विक्रय हेतु सायं 06:00 से 07:00 बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी।

12. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
13. **घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 05:30 बजे से 09:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे**
14. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए0टी0एम0 वाहन, एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर के वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लिखित हों, को परिवहन करने वाले वाहन
15. बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं
16. जेल
17. अग्निशमन सेवाएं
18. ए0टी0एम0
19. टेलीकॉम/ इन्टरनेट सेवाएं/ आई0टी0 आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें– **मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें अपरान्हः 12:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी**
20. पेट्रोल/ डीजल पम्प एवं एल0पी0जी0/ सी0एन0जी0 गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां
21. पशु आहार, पक्षी आहार (Bird Feed) एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं व सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं (Veterinary Services) एवं पेट्स शॉप एक्यूरियम (Pet Shops & Aquarium), कृषि मशीनरी विक्रय/ स्पेयर पार्टस तथा कृषि उत्पाद कीटनाशक, उवर्रक, बीज से संबंधित दुकानें – **ये दुकानें अपरान्हः 12:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी**
22. पोस्टल सेवाएं
23. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति
24. टेक–अवे/ होम डिलिवरी रेस्टोरेंट/ पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं। हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि पूर्व से रूके हुये व्यक्तियों / पर्यटकों/ मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु संचालित हो । किन्तु इनमें नये व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।
25. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
26. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फरनेस, बॉयलर आदि हों), सीमेण्ट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
27. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं

28. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
29. राज्य शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

द. **नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं नगर पंचायत बिल्हा तथा बोदरी के सीमा क्षेत्रों में** स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं–

01. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
02. सभी बैंकों के प्रबंध द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्धन नहीं करायी जावेगी।
03. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में **अधिकतम 05 ग्राहकों को** ही प्रवेश देंगे।
04. बैंक द्वारा संचालित ए0टी0एम0 में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

ई. निजी प्रतिष्ठान, जो कण्डिका– ''**स**'' मे वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ. 01. जिन व्यक्तियों द्वारा COVID-19 के परीक्षण हेतु सैम्पल दिया गया है, उन्हें अनिवार्यतः संगरोध (होम आईसोलेशन) का पालन करना होगा, जब तक कि परीक्षण का परिणाम न आ जाए ।

02. उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

03. उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ओ. 01. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया जा रहा है।

02. कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक /रीडर–जि0दण्डा0/1832/2020 बिलासपुर दिनांक 17, मई 2020 द्वारा सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गयी धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 16 अगस्त 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, को इस आदेश के साथ पढा जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

20/07/2020

जिला दण्डाधिकारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
बिलासपुर, (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक / रीडर–जि0दण्डा / 2902/ 2020 बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

4– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर

8– आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

11– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर / कोटा / मस्तुरी एवं बिल्हा,

12– तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी.................................समस्त जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)